

(37)

**झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)**

“अधिसूचना”

झारखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम-2005 (झारखण्ड अधिनियम, 02, 2006) की धारा-3 का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा श्री राजीव रंजन प्रसाद, पिता-स्व० निरंजन प्रसाद, मोराहबादी, राँची को झारखण्ड गो सेवा आयोग का “अध्यक्ष” तथा श्री राजू गिरी पिता-अर्न्तयामी गिरी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड को “उपाध्यक्ष” के रूप में अगले आदेश तक के लिए मनोनित किया जाता है।

2. मनोनित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद ग्रहण की तिथि को झारखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 02, 2006) के धारा-9 के तहत शपथ पत्र विभाग और आयोग को उपलब्ध करायेंगे।
3. इसे तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

आपांक:- झा०गो०से०आ० राँची/अध्यक्ष और उपाध्यक्ष/01/23-24प०पा०/766...../राँची, दिनांक-15/06/2022

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

आपांक:- झा०गो०से०आ० राँची/अध्यक्ष और उपाध्यक्ष/01/23-24प०पा०/766...../राँची, दिनांक-15/06/2022

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त एवं सभी विभागीय सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी नगर निगम प्रशासक/सचिव/निबंधक, झारखण्ड गो सेवा आयोग/सभी सचिव, राज्य स्थित गोशालाओं को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

आपांक:- झा०गो०से०आ० राँची/अध्यक्ष और उपाध्यक्ष/01/23-24प०पा०/766...../राँची, दिनांक-15/06/2022

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।